प्रारूप–ग

(नियम 3 (2)देखिये)

/ /अनुज्ञा/ /

प्रति,

द्वारिका साहू साकिन मल्दी
पटवारी हल्का नम्बर 09 ग्राम मल्दी
तहसील बिलाईगढ़ जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय :– **वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।**

––000––

विषयान्तर्गत आपका आवेदन (दिनांक) 07/05/2025 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ है। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन (दिनांक) 07/05/2025 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :– 15 नग बबूल वृक्ष है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर, मैं इस निकर्ष पर पहुंचता हूं कि ग्राम मल्दी प.ह.नं. 09 तहसील बिलाईगढ़ स्थित शासकीय भूमि पर बने जलाशय के पार में स्थित वृक्ष, जिनकी प्रजाति बबूल 15 नग है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

Rushg

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग बिलाईगढ़
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)
बिलाईगढ़, दिनांक 07/07/2025

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक / /अ.वि.अ./वा./2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. तहसीलदार, बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिलाईगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Rushg

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग बिलाईगढ़
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)